



माता-पिता आईएस अधिकारी हों तो उनके बच्चे को आरक्षण क्यों?: सुप्रीम कोर्ट

● क्या आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके संपन्न परिवारों को आगे भी इस कोटे का फायदा मिलते रहना चाहिए?

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में 'क्रीमी लेयर' (उन्नत वर्ग) को लेकर एक बार फिर गहरा सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, 'अगर दोनों माता-पिता आईएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत? शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। फिर बच्चों को आरक्षण देने की मांग क्यों? इससे हम कभी इस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाएंगे।'

यह टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई। याचिकाकर्ता रावचंद्र फकीरप्पा चंद्रनावर ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें 'क्रीमी लेयर' मानकर आरक्षण से वंचित रखा गया।

कोर्ट का तर्क पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि



आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। जब कोई परिवार आरक्षण का लाभ लेकर आईएस-आईपीएस जैसी उच्च पदों तक पहुंच जाता है और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, तो अगली पीढ़ी को फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 'शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ऐसे परिवारों को आरक्षण व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए। 'कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह टिप्पणी मात्र एक याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में आरक्षण नीति पर चल रही व्यापक बहस को नई दिशा दे रही है।

पृष्ठभूमि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 1992 के इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत स्थापित किया था। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार,

भी मौजूद है और आर्थिक स्थिति अकेले सामाजिक पिछड़ेपन को मिटा नहीं सकती। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल से साबित होता है कि केंद्र की नीतियां पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं।

व्यापक प्रभाव यह मामला केवल ओबीसी तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2024 में एससी/एसटी आरक्षण में सब-क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी थी और क्रीमी लेयर को इन श्रेणियों में लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि यह सिद्धांत एससी/एसटी पर भी लागू होता है तो आरक्षण नीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आरक्षण को समय-समय पर नहीं, बल्कि उनकी पद-स्थिति और सामाजिक हैसियत को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं इस टिप्पणी ने देशभर में चर्चा छेड़ दी है।

समर्थन: कई विशेषज्ञों और विचारकों का मानना है कि यह टिप्पणी आरक्षण को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में सकारात्मक कदम है। वे तर्क देते हैं कि आरक्षण अनंतकाल तक नहीं चल सकता और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित नहीं करना चाहिए।

विरोध: कुछ दलित और पिछड़े वर्ग के संगठनों ने चिंता जताई है कि यह सामाजिक न्याय की नींव को कमजोर कर सकता है। उनका मानना है कि जातिगत भेदभाव अभी

विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

● अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकारा

● विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिससे उन्हें 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति मिल गई है।

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई। डब्ल्यूएफआई ने पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाए। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि फोगाट को आने वाले एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। विनेश मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करना चाहती हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई का शीर्ष खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा पर नहीं चलना 'बहुत कुछ कहता है'।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है और संघ को 'प्रतिशोध' की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। अदालत ने केंद्र से फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने को कहा। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, 'विशेषज्ञों के मूल्यांकन संभावनाओं का मूल्यांकन करने को कहें। यह सुनिश्चित करें कि वह भाग ले सके।' इससे पहले 18 मई को हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले



एशियन गेम्स चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं, डब्ल्यूएफआई ने हाल ही में विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाए। विनेश ने इस नोटिस को चुनौती दी थी जिस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

डब्ल्यूएफआई ने हाल ही में अनुशासनहीनता और डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर विनेश को नोटिस भेजा था। इतना ही नहीं विनेश जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित की गई क्योंकि उन्होंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू के डोपिंग रोधी नियम के तहत सन्यास से वापसी के बाद जरूरी छह महीने का नोटिस पीरियड नहीं दिया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि विनेश दोबारा कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं, तो उन्हें आईटीए या इंटरनेशनल फेडरेशन को कम से कम छह महीने पहले सूचना देनी होगी और इस दौरान एंटी-डोपिंग टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहना होगा। 15 पन्नों के नोटिस में, डब्ल्यूएफआई ने आरोप लगाया था कि विनेश के आचरण ने राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है जिससे भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा है। डब्ल्यूएफआई ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि विनेश इस वर्ष 26 जून तक किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं, जिसमें गोंड में 10 से 12 मई तक होने वाला राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट भी शामिल था।

फोगाट के वकील ने क्या कहा? फोगाट के सीनियर वकील ने बेंच से गुजारिश की कि उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वकील ने दलील दी कि 9 मई को फोगाट को एक 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notice) जारी किया गया था। यह नोटिस गोंड में होने वाले एक घरेलू टूर्नामेंट में उनके हिस्सा लेने से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया था। वकील ने कहा कि इस नोटिस से साफ जाहिर होता है कि कोई उन्हें बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने इस 'कारण बताओ नोटिस' पर अपनी नाराजगी जहरी की। कोर्ट ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में फोगाट का बाहर होना पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर यह क्यों न मान लिया जाए कि WFI ने जान-बूझकर फोगाट को बाहर करने के लिए सिलेक्शन के नियमों में बदलाव किया है।

साक्षिप्त खबरें

चौरी खास में जल मिशन की सप्लाई ठप, भीषण गर्मी में ग्रामीण परेशान



भदोही जनपद के चौरी खास क्षेत्र में जल जीवन मिशन की पानी सप्लाई पिछले एक सप्ताह से बाधित है। जानकारी के अनुसार चौर पानी सप्लाई से जुड़ी केबल काटकर ले गए, जिसके चलते पूरे गांव में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। भीषण गर्मी में लगभग 5000 की आबादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान पति महबूब आलम ने बताया कि करीब दो माह पहले भी चौरों द्वारा केबल काट लिया गया था। काफी प्रयास और मरम्मत के बाद पानी सप्लाई दोबारा चालू हो सकी थी, लेकिन एक सप्ताह पूर्व फिर चौर तार काट ले गए, जिससे पूरे गांव की जलापूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है। सिकंदर मंसूरी, हर्ष कुमार गुप्ता, पेशकार, मेहेंदी लाल, छोटे लाल, राजन सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द से जल्द पानी सप्लाई बहाल कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के इस मौसम में सरकार के जल आपूर्ति संबंधी दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

मंगलवार 26 मई को श्री राघव जी मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार व भंडारे का आयोजन



चुनार, मीरजापुर। गंगेश्वर नाथ स्थित श्री राघव जी हनुमान मंदिर में मंगलवार 26 मई को सायं सात बजे हनुमान जी का श्रृंगार व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें।

कप्तानगंज ब्लाक परिसर बना मयखाना, महंगी गाड़ियों से चेस करने पहुँच रहे जरूरतमंद

● कुछ ग्राम पंचायतों में कागजी हाजिरी का खेल बदस्तूर जारी, आखिर कब टूटेगी बीडीओ की रहस्यमयी चुप्पी सेवा के अंतिम पड़ाव में पहुँचे बीडीओ हिसाब- किताब में मस्त, विभाग की गूले मर्यादा



शुरु कर देते हैं और परिसर मयखाने में तब्दील हो जाता है।

सेवा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक का विकास करने के बजाय खुद के विकास व लेखा- जोखा दुरुस्त करने में लगे हैं। दूसरों के विकास का जिम्मा संभालने वाले ब्लाक के कर्मचारी, ब्लाक क्षेत्र के विकास के बजाय खुद के विकास में मशगूल हैं। इसी बीच क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों को लेकर कागजी हाजिरी का खेल भी धमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां धरातल पर कार्य की स्थिति और अभिलेखों में दर्ज विवरण में स्पष्ट अंतर था जा रहा है, जबकि कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखाया जा रहा है। वहीं बीडीओ की रहस्यमयी खामोशी भी लोगों के बीच तरह-

लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर आग, बिना टोल के निकलीं गाड़ियां

फतेहाबाद (आगरा)। लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में शुक्रवार रात आग लग गई। इससे पूरे सर्वर सिस्टम के साथ ही अन्य उपकरण भी जल गए। सर्वर और कंट्रोल सिस्टम ठप होने के कारण टोल प्लाजा कुछ समय के लिए पूरी तरह टोल फ्री हो गया। वाहन बिना टोल टैक्स दिए ही गुजरते रहे।

सर्वर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर रात आठ बजे कंट्रोल रूम के एयर कंडीशन में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। कुछ ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते भीषण लपटें सर्वर रूम तक पहुंच गईं। जहां लगे सर्वर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। हादसे के बाद टोलकर्मियों में भगदड़ मच गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

बच्ची की मौत के मामले में प्रधानाचार्य गिरफ्तार, जर्जर स्कूली बस के टूटे फर्श से नीचे गिरकर हुआ था दर्दनाक हादसा

गंगीरी (अलीगढ़)। जर्जर बस के टूटे फर्श से बच्ची की मौत के मामले पुलिस ने अब स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वह आगरा के सदर क्षेत्र स्थित मोहल्ला नाना जाट के हैं। हादसे के बाद वह उपकरण भी जल गए। सर्वर और कंट्रोल सिस्टम ठप होने के कारण टोल प्लाजा कुछ समय के लिए पूरी तरह टोल फ्री हो गया। वाहन बिना टोल टैक्स दिए ही गुजरते रहे।

सर्वर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर रात आठ बजे कंट्रोल रूम के एयर कंडीशन में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। कुछ ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते भीषण लपटें सर्वर रूम तक पहुंच गईं। जहां लगे सर्वर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। हादसे के बाद टोलकर्मियों में भगदड़ मच गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

भूड़ छोड़ते हुए दोनों भाई-बहन के घर के लिए गंगीरी आ रहा था। अनन्या कंडक्टर साइड की सीट थी। भाई दूसरी सहित छह बच्चे और बस में थे। दोपहर करीब ढई बजे डेलना के गांव नगला बंजारा के निकट क्रेकर पर बस उछली तो अनन्या बस के टूटे फर्श के हिस्से में होकर नीचे जा गिरी और पिछले पहिये के नीचे आ गईं। भाई के चीखने पर चालक ने बस रोकी। लहलुहान अनन्या को लाकर सीट पर लिया दिया। बस को गंगीरी क्षेत्र के मलसई गांव ले आया। इस दौरान रवि को फोन पर बच्ची के याचक होने की जानकारी दी। गांव मलसई में ही रवि का जनसेवा केंद्र है। इसके चलते बस तक पहुंचने में उन्हें समय न लगा। चालक बस छोड़कर भाग गया था, जिसे ग्रामीणों ने दबोच लिया था। इसके व स्कूल प्रबंधक अरविंद यादव के खिलाफ रवि ने गैर इशतदन हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। कुछ दिन बाद ही दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना में प्रबंधक की पत्नी रीना व क्षेत्र के गांव बिरहया का चंद्रपाल बस चला रहा था।

वह डेलना के गांव छिंछेर, किनावा, नगला

निजी स्कूलों की मनमानी पर डीएम सख्त

● मनमानी फीस ड्रेस व किताबों की बाधयता पर कठोर होगी कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। जिला अधिकारी अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में स्वयंप्रभित स्कूलों व निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि और किताबों ड्रेस व अन्य सामग्री की अनिवार्यता आदि पर जिला विद्यालय निरीक्षक ओंकार राणा को निर्देशित किया कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि से संबंधित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई विद्यालय अभिभावकों पर निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूलता है अथवा किसी विशेष दुकान या स्वयं के स्कूल से किताबें ड्रेस जूते भोजे खरीदने का दबाव बनाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि निजी स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से 60 दिन पहले वेबसाइट व विद्यालय के सूचना पट पर शुल्क विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, वहीं वर्तमान सत्र में यह प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करें। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी निजी स्कूल पांच साल



के पहले ड्रेस व किताबों में परिवर्तन नहीं करेगा। जून माह के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों के प्रबंधकों की बैठक बुलाई जाए। डीएम ने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए आदेशित किया कि शुल्क विनियमन अधिनियम के निर्देशों का अक्षरशः पालन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से 60 दिन पहले वेबसाइट व विद्यालय के सूचना पट पर शुल्क विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, वहीं वर्तमान सत्र में यह प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करें। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी निजी स्कूल पांच साल

बादलों और आंधी ने दी थोड़ी राहत, नौतपा होने जा रहा है शुरू; अब आगरा में गर्मी रात-दिन नहीं लेने देगी चैन

आगरा। एक सप्ताह से भीषण गर्मी का सितम ड्रेल रहे शहरवासियों को शनिवार को बादल छाने और आंधी आने से कुछ राहत मिली। अधिकतम तापमान में गिरावट आई। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को गरज के साथ बौझर पड़ने और तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान बताया है। सोमवार से नौतपा की शुरुआत होगी, जिसमें शहरवासियों को सूरज की तीव्र किरणें झेलनी पड़ सकती हैं। उधर, प्रदेश के गर्म शहरों में शनिवार को आगरा 11वें स्थान पर रहा। शहर में शनिवार को सुबह से धूप निकली। दिन बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता चला गया। सुबह 11 बजे के बाद हल्के बादल छाने से सूरज की किरणों की तपिश कम रही। दोपहर दो बजे के करीब बादल छा गए और सूरज उनकी ओट में छिप गया। शहर में 60 किमी प्रति घंटा से अधिक की गति पर आंधी आई। आंधी आने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर में धूल के गुबार छा गए, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई, जिससे गर्मी का असर कम हुआ। अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

पेट्रोल पंपों पर उमड़ा भारी भीड़, कहीं मारपीट तो कहीं लगा घंटों जाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महाराजगंज। नौतनवा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर डीजल पाने के लिए मची अफरातफरी और हाहाकार धमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुआनी स्थित इंडियन ऑयल और परसा सुमाली स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर जैसे ही डीजल का वितरण शुरू हुआ वैसे ही हजारों की संख्या में लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। खेती-किसानी के सीजन में डीजल की किल्लत से परेशान किसान और वाहन चालक अपने-अपने टैंकर, गाड़ियां और हाथों में बड़े-बड़े गैलन लेकर सुबह से ही कतारों में खड़े हो गए। देखते ही देखते दोनों ही पेट्रोल पंपों पर भारी अव्यवस्था और अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया।

डीजल लेने की इस अंधी होड़ और अव्यवस्था का नतीजा यह हुआ कि परसा सुमाली स्थित पेट्रोल पंप पर कतार में आगे निकलने की बात को लेकर आपस में तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच आपस में लात-धुंसे और मारपीट शुरू हो गई, जिससे पंप परिसर में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। वहीं दूसरी ओर सेखुआनी स्थित इंडियन ऑयल पंप पर स्थिति और भी



भयावह हो गई। पंप पर उमड़ी टैंकरों और अन्य वाहनों की लंबी कतारों के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम की वजह से राहगीरों, स्कूली वाहनों समेत अन्य वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए। देखते ही देखते दोनों ही पेट्रोल पंपों पर भारी अव्यवस्था और अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। डीजल लेने की इस अंधी होड़ और अव्यवस्था का नतीजा यह हुआ कि परसा सुमाली स्थित पेट्रोल पंप पर कतार में आगे निकलने की बात को लेकर आपस में तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच आपस में लात-धुंसे और मारपीट शुरू हो गई, जिससे पंप परिसर में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। वहीं दूसरी ओर सेखुआनी स्थित इंडियन ऑयल पंप पर स्थिति और भी

तिवारी, धीरू सिंह, विजय कुमार चौधरी, राकेश अग्रहरी, मोल्हू गुप्ता, राजेन्द्र, गुलाम नबी, मोहम्मद शमी, राहुल अग्रहरी, सोनू समेत अन्य लोगों का कहना है कि सुबह दस बजे से लाईन में खड़े हैं लेकिन चार घंटे के इंतजार के बाद भी अभी मशीन के नोजल तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अगर आपूर्ति पर्याप्त है तो सप्लाई होने वाला डीजल-पेट्रोल जा कहा रहा है, यदि आपूर्ति सामान्य है तो पुलिस बल के कड़ी मशक्कत और बल्लेक के बाद जाम को खुलवाया और भीड़ को सुमाली स्थित पेट्रोल पंप पर कतार में आगे निकलने की बात को लेकर आपस में तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच आपस में लात-धुंसे और मारपीट शुरू हो गई, जिससे पंप परिसर में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। वहीं दूसरी ओर सेखुआनी स्थित इंडियन ऑयल पंप पर स्थिति और भी

